

प्रपत्र-22 (देखें नियम-15 उप नियम-4)

अधिकार-अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर दावों / आक्षेपों की सुनवाई हेतु पक्षकारों को सूचना का प्रपत्र श्री / श्रीमती / कुमारीपुत्र / पुत्री / पत्नी श्रीनिवासी ग्रामडाकघरआनादिलाको एतत् द्वारा जानकारी दी जाती है कि दिनांकपूर्वाहन / अपराहनबजेदायर दावों / आपति, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, की सुनवाई दिनांकपूर्वाहन / अपराहन(स्थान)पर नियत की गयी है।

एक पक्षीय निपटारा किया जा सकता।

नियम-15(2) के अधीन दावों / आक्षेपों के निपटारा हेतु अधिसंचित पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर